Shodh Sangam Patrika
E-ISSN: 3049-0707, Volume 2 | Issue 4 | (Oct – Dec 2025)

अशोक के अभिलेखों में पर्यावरण चेतना के विविध आयाम

ज्योति प्रकाश सरोज
शोधार्थी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

सारांश

मौर्यकाल भारतीय इतिहास में केवल राजनीतिक एकीकरण का ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय चेतना के विकास का भी एक महत्त्वपूर्ण चरण रहा है। इस काल में प्रकृति, मानव और अन्य जीवों के बीच सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध की अवधारणा स्पष्ट रूप से उभरती है। सम्राट अशोक के अभिलेख इस पर्यावरणीय दृष्टि के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। कलिंग युद्ध के पश्चात् अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की नीति का मूल आधार अहिंसा, करुणा तथा सभी जीवों के प्रति सह-अस्तित्व की भावना रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यावरण संरक्षण पर पड़ा। अशोक के शिलालेखों एवं स्तम्भ लेखों में पशु-हत्या पर नियंत्रण, कुछ जीवों के वध पर प्रतिबन्ध, वृक्षारोपण, औषधीय वनस्पतियों का संरक्षण, मार्गों के किनारे छायादार वृक्षों की व्यवस्था तथा कुओं और जलाशयों के निर्माण जैसे उल्लेख मिलते हैं। ये व्यवस्थाएँ राज्य द्वारा संचालित पर्यावरणीय नीतियों को दर्शाती हैं। वन, जल तथा पशु-पक्षी संरक्षण के माध्यम से अशोक ने न केवल मानव कल्याण, बल्कि समस्त जीव-जगत की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया। यह कहा जा सकता है कि अशोक के अभिलेखों में निहित पर्यावरण चेतना प्राचीन भारत की उन्नत पर्यावरणीय सोच को प्रतिबिम्बित करती है, जो आज के वैश्विक पर्यावरण संकट के संदर्भ में भी अत्यन्त प्रासंगिक है।

मुख्य शब्द: अशोक, अभिलेख, धम्म, अहिंसा, पर्यावरण चेतना, वन्यजीव संरक्षण, मौर्यकाल

प्रस्तावना

पर्यावरण चेतना की अवधारणा मानव सभ्यता के आरम्भ से ही किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। आदिम समाजों में प्रकृति को जीवनदायिनी शक्ति के रूप में देखा गया और उसके साथ सामंजस्य बनाकर जीवन यापन किया गया। भारतीय परम्परा में यह चेतना और भी गहरी दिखाई देती है, जहाँ पृथ्वी को माता, नदियों को पवित्र तथा वनस्पतियों और जीव-जंतुओं को जीवन-चक्र का अभिन्न अंग माना गया। वैदिक साहित्य से लेकर बौद्ध और जैन दर्शनों तक प्रकृति-संरक्षण, संयम और अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इसी दीर्घ ऐतिहासिक परम्परा के क्रम में मौर्यकाल वह महत्त्वपूर्ण चरण है, जहाँ पर्यावरण चेतना केवल धार्मिक या दार्शनिक स्तर पर नहीं, बल्कि राज्य-नीति और प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में भी दृष्टिगोचर होती है।

मौर्यकालीन शासन व्यवस्था अपनी सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना और व्यापक जनकल्याणकारी दृष्टि के लिए जानी जाती है। चन्द्रगुप्त मौर्य और बिन्दुसार के काल से ही राज्य द्वारा कृषि, सिंचाई, वन और संसाधनों के नियमन पर ध्यान दिया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वनाध्यक्ष, पशुपालक और जल-संसाधनों से सम्बन्धित अधिकारियों का उल्लेख यह दर्शाता है कि प्राकृतिक संसाधनों को राज्य की सम्पत्ति मानकर उनके संरक्षण की नीति अपनाई गई थी। प्रसिद्ध इतिहासकार डी.डी. कोसांबी का मत है कि "मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था में आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों पर नियन्त्रण का उद्देश्य केवल राजस्व नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सामाजिक स्थिरता था।"[1] यह कथन मौर्यकालीन नैतिक-पर्यावरणीय दृष्टि को समझने में सहायक है।

सम्राट अशोक का शासन मौर्यकालीन इतिहास में एक निर्णायक मोड़ प्रस्तुत करता है। कलिंग युद्ध के पश्चात् अशोक के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आया, उसने शासन की प्रकृति को गहराई से प्रभावित किया। अशोक ने धम्म की नीति

के माध्यम से अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता और जीव-दया को राज्य के नैतिक आधार के रूप में स्थापित किया। उनके अभिलेखों में पशु-हत्या निषेध, वृक्षारोपण, जल-स्रोतों का विकास और लोककल्याणकारी कार्यों का उल्लेख मिलता है, जो पर्यावरण चेतना की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। इतिहासकार रोमिला थापर का कथन है कि "अशोक का धम्म किसी संकीर्ण धार्मिक मत का प्रचार नहीं, बल्कि एक ऐसी नैतिक संहिता थी, जिसका उद्देश्य समाज और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करना था।"[2] इस प्रकार अशोक का स्थान केवल एक महान विजेता या प्रशासक के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे शासक के रूप में महत्त्वपूर्ण है जिसने नैतिकता, शासन और पर्यावरण को एक-दूसरे से जोड़कर देखा। मौर्यकालीन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अशोक के अभिलेख पर्यावरण चेतना की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने वाले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्रोत सिद्ध होते हैं।

मौर्यकालीन पृष्ठभूमि एवं अशोक का शासन

मौर्यकाल प्राचीन भारत में केन्द्रीयकृत और सुव्यवस्थित प्रशासन का युग माना जाता है। इस काल में राज्य की भूमिका केवल सत्ता संचालन तक सीमित न रहकर सामाजिक अनुशासन, लोककल्याण और नैतिक उत्तरदायित्व तक विस्तृत हो गई थी। चन्द्रगुप्त मौर्य और बिन्दुसार के काल में स्थापित प्रशासनिक संरचना ने कृषि, वन, जल और संसाधनों के नियन्त्रण एवं संरक्षण को राज्य-नीति का अंग बनाया। इसी सुदृढ़ प्रशासनिक पृष्ठभूमि पर अशोक का शासन विकसित हुआ, जिसने मौर्य साम्राज्य को वैचारिक रूप से नई दिशा प्रदान की।

अशोक के शासन का प्रारम्भिक चरण परम्परागत साम्राज्यवादी नीति से जुड़ा था, जिसका सबसे महत्त्वपूर्ण उदाहरण कलिंग युद्ध है। इस युद्ध के पश्चात् अशोक के जीवन और शासन-दृष्टि में गहरा परिवर्तन आया। तेरहवें प्रमुख शिलालेख में अशोक स्वयं स्वीकार करते हैं कि कलिंग विजय के बाद देवों के प्रिय राजा को गहरा शोक और पश्चात्ताप हुआ।[3] यह कथन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि कलिंग युद्ध केवल राजनीतिक घटना नहीं था, बल्कि उसने अशोक की वैचारिक दिशा को निर्णायक रूप से बदल दिया। युद्ध में हुए जन-धन के विनाश ने अशोक को हिंसा के मार्ग से विमुख कर दिया।

कलिंग युद्ध के पश्चात् अशोक ने धम्म की नीति को अपने शासन का आधार बनाया। धम्म का उद्देश्य किसी विशेष धार्मिक मत का प्रचार नहीं था, बल्कि नैतिक आचरण, सामाजिक समरसता और जीव-जगत के प्रति करुणा की भावना को स्थापित करना था। द्वितीय प्रमुख शिलालेख में अशोक स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य, पशु और वनस्पतियों के कल्याण के लिए औषधियों और सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।[4] यह कथन दर्शाता है कि धम्म की नीति में मानव के साथ-साथ प्रकृति और जीव-जगत का कल्याण भी निहित था।

इसी प्रकार पाँचवें स्तम्भ लेख में अशोक जीव-हत्या के नियन्त्रण की बात करते हुए कहते हैं कि कुछ विशेष दिनों में और कुछ विशेष जीवों का वध सर्वथा वर्जित है।[5] यह आदेश राज्य द्वारा लागू की गई नैतिक और व्यवहारिक नीति को प्रकट करता है। धम्म के अन्तर्गत अशोक ने प्रशासनिक अधिकारियों को भी लोकहित और करुणा से युक्त आचरण के निर्देश दिए। इस प्रकार मौर्यकालीन पृष्ठभूमि में अशोक का शासन शक्ति और नैतिकता के समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहाँ शासन केवल दण्डात्मक नहीं, बल्कि संवेदनशील और उत्तरदायी स्वरूप ग्रहण करता है।

अशोक के अभिलेखों में पर्यावरण चेतना

अशोक के अभिलेख प्राचीन भारत में विकसित पर्यावरण चेतना का सर्वाधिक विश्वसनीय और प्रत्यक्ष स्रोत हैं। ये अभिलेख केवल राजनीतिक घोषणाएँ नहीं, बल्कि शासन, नैतिकता और प्रकृति के बीच स्थापित सम्बन्ध को अभिव्यक्त करते हैं। अशोक का धम्म मानव, पशु, वन और जल सभी को एक समग्र जीवन-तंत्र के रूप में देखने की

दृष्टि प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में अशोक के प्रमुख शिलालेखों और स्तम्भ लेखों के आधार पर पर्यावरण चेतना के विविध आयामों का विश्लेषण किया गया है। अशोक के धम्म का मूल आधार अहिंसा और करुणा है, जिसका सीधा सम्बन्ध पर्यावरण संरक्षण से है। जीव-हत्या के निषेध द्वारा अशोक ने यह स्पष्ट किया कि प्रकृति और जीव-जगत के प्रति निर्दयता स्वीकार्य नहीं है। प्रथम प्रमुख शिलालेख में अशोक का स्पष्ट आदेश मिलता है-

"इध न किञ्चि जीव आरभित्वा प्रजुहितव्यं।"[6]

यह कथन राज्य स्तर पर जीवों की हत्या के निषेध को स्थापित करता है और यह दर्शाता है कि पर्यावरणीय नैतिकता शासन का अंग थी। अहिंसा की यह नीति व्यवहारिक रूप से लागू की गई। पाँचवें स्तम्भ लेख में अशोक जीव-हत्या को क्रमिक रूप से नियंत्रित करने की बात करते हुए कहते हैं कि अमुक-अमुक जीवधारियों की हत्या केवल निश्चित दिनों में ही की जाए। यह कथन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि अशोक ने सामाजिक यथार्थ को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय सुधार को चरणबद्ध रूप में लागू किया। करुणा और सहअस्तित्व की भावना को अशोक ने सार्वभौमिक स्तर पर स्वीकार किया। तेरहवें प्रमुख शिलालेख में वे कहते हैं-

"सर्वे प्रजा मम पुत्रा।"[7]

यह कथन मानव-केंद्रित दृष्टि से आगे बढ़कर समस्त जीव-जगत के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को व्यक्त करता है और पर्यावरणीय सहअस्तित्व का आधार प्रस्तुत करता है। अशोक के अभिलेखों में वन और वृक्ष संरक्षण को राज्य-नीति का अनिवार्य अंग माना गया है। द्वितीय प्रमुख शिलालेख में औषधीय पौधों और वृक्षारोपण का उल्लेख करते हुए कहा गया है-

"मनुष्याणां पशूनां च चिकित्सा करापिता, औषधीनि च रोपापितानि।"[8]

यह कथन स्पष्ट करता है कि वनस्पतियों को मानव और पशुओं दोनों के जीवन से जोड़ा गया था। वृक्षारोपण केवल सौन्दर्य या छाया के लिए नहीं, बल्कि जीवन-रक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक माना गया। इसी शिलालेख में मार्गों के किनारे वृक्षारोपण और सुविधाओं की व्यवस्था का संकेत मिलता है, जिससे यात्रियों और पशुओं को संरक्षण मिल सके। यह नीति वनों के अंधाधुंध दोहन पर नियंत्रण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम थी। राज्य द्वारा नियंत्रित वन-नीति यह दर्शाती है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। अशोक के अभिलेखों में पशु-पक्षी संरक्षण अत्यन्त स्पष्ट और विस्तृत रूप में व्यक्त हुआ है। पाँचवें स्तम्भ लेख में अशोक अनेक पशुओं और पक्षियों की सूची प्रस्तुत करते हुए कहते हैं-

"एतेषां प्राणिनां न हन्तव्या।"[9]

यह कथन कुछ विशिष्ट जीवों के वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध को स्थापित करता है और यह दर्शाता है कि जैव-विविधता संरक्षण की भावना मौर्यकाल में विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त, कुछ विशेष तिथियों पर किसी भी प्रकार की जीव-हत्या को निषिद्ध घोषित किया गया। यह व्यवस्था केवल धार्मिक भावना का परिणाम नहीं थी, बल्कि राज्य द्वारा लागू की गई नीति थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि पशु-पक्षियों को मानव उपयोग की वस्तु नहीं, बल्कि संरक्षण योग्य प्राणी माना गया।

जल संरक्षण अशोक की पर्यावरणीय नीति का एक महत्त्वपूर्ण आयाम था। जल को जीवन का आधार मानते हुए अशोक ने उसके संरक्षण और समान वितरण पर बल दिया। सप्तम स्तम्भ लेख में अशोक जनसुविधाओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं-

"रस्तेषु वृक्षारोपणं कूपाः खनापिताः।"[10]

यह कथन यह दर्शाता है कि मार्गों के किनारे वृक्ष, कुएँ और जल-सुविधाएँ राज्य द्वारा स्थापित की गईं। कुएँ, तालाब और सराय केवल मानव सुविधा तक सीमित नहीं थे, बल्कि पशुओं और यात्रियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी थे। इस प्रकार जल-संरक्षण और लोककल्याण को एक-दूसरे से जोड़कर देखा गया। यह दृष्टि मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध को सुदृढ़ करती है।

आधुनिक पर्यावरण दृष्टि में अशोक की प्रासंगिकता

आधुनिक युग में पर्यावरण संकट मानव सभ्यता के समक्ष एक गम्भीर चुनौती के रूप में उपस्थित है। औद्योगीकरण, शहरीकरण, अनियंत्रित उपभोग, वनों की कटाई, जल-स्रोतों का क्षय और जैव-विविधता का विनाश आज वैश्विक स्तर पर चिन्ता का विषय बन चुके हैं। इस पृष्ठभूमि में जब हम प्राचीन इतिहास की ओर दृष्टि डालते हैं, तो सम्राट अशोक की पर्यावरणीय दृष्टि और नीतियाँ विशेष रूप से प्रासंगिक प्रतीत होती हैं। अशोक का शासन यह दर्शाता है कि पर्यावरण संरक्षण कोई आधुनिक अवधारणा नहीं, बल्कि भारतीय चिन्तन की गहरी ऐतिहासिक परम्परा का अंग रहा है। अशोक की पर्यावरण दृष्टि का मूल आधार धम्म था, जिसमें अहिंसा, करुणा, संयम और सह-अस्तित्व जैसे मूल्य निहित थे। आधुनिक पर्यावरण विमर्श में भी यही सिद्धान्त सतत विकास की आधारशिला माने जाते हैं। अशोक ने जीव-हत्या पर नियन्त्रण, पशु-पक्षियों के संरक्षण, वृक्षारोपण और जल-सुविधाओं के विकास के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि मानव कल्याण प्रकृति के संरक्षण के बिना सम्भव नहीं है। आज जब मानव स्वयं को प्रकृति का स्वामी मानकर उसका असीम दोहन कर रहा है, तब अशोक की यह दृष्टि मानव और प्रकृति के बीच सन्तुलन स्थापित करने की प्रेरणा देती है।

आधुनिक पर्यावरण संकट का एक प्रमुख कारण नैतिक मूल्यों का ह्रास भी है। अशोक ने पर्यावरण संरक्षण को केवल प्रशासनिक आदेशों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे नैतिक आचरण और सामाजिक चेतना से जोड़ा। वर्तमान समय में पर्यावरण सम्बन्धी कानून और नीतियाँ तभी प्रभावी हो सकती हैं, जब समाज में नैतिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो। इस सन्दर्भ में अशोक की नीति यह सन्देश देती है कि राज्य, समाज और व्यक्ति तीनों की संयुक्त भागीदारी के बिना पर्यावरण संरक्षण सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त, अशोक की लोककल्याणकारी नीतियाँ जैसे मार्गों के किनारे वृक्ष, कुएँ, तालाब और सराय आज की सार्वजनिक पर्यावरणीय सुविधाओं की अवधारणा से साम्य रखती हैं। यह दृष्टि यह दर्शाती है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं। इस प्रकार आधुनिक पर्यावरण दृष्टि में अशोक की प्रासंगिकता एक ऐतिहासिक प्रेरणा के रूप में सामने आती है, जो यह सिखाती है कि नैतिकता, शासन और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित कर ही मानव सभ्यता का सतत भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सम्राट अशोक के अभिलेख प्राचीन भारत में विकसित पर्यावरण चेतना के अत्यन्त सशक्त और प्रामाणिक ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। अशोक की पर्यावरणीय दृष्टि केवल धार्मिक या नैतिक उपदेशों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह राज्य-नीति और प्रशासनिक व्यवहार में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। धम्म की नीति के माध्यम से अशोक ने अहिंसा, करुणा, संयम और सह-अस्तित्व जैसे मूल्यों को शासन का आधार बनाया, जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध पर्यावरण संरक्षण से है। अध्ययन से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि अशोक के अभिलेखों में जीव-हत्या निषेध, पशु-पक्षियों के संरक्षण, वृक्षारोपण, वनों के विवेकपूर्ण उपयोग तथा जल-स्रोतों के विकास जैसे व्यावहारिक उपायों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ये व्यवस्थाएँ यह दर्शाती हैं कि मौर्यकालीन शासन में पर्यावरण

को केवल संसाधन के रूप में नहीं, बल्कि जीवन-तंत्र के अभिन्न अंग के रूप में देखा गया। मानव, पशु, वन और जल सभी को एक परस्पर-निर्भर व्यवस्था का हिस्सा माना गया, जिसमें संतुलन बनाए रखना राज्य और समाज दोनों का दायित्व था। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अशोक के अभिलेख मात्र नैतिक शिक्षा या आदर्शवाद के दस्तावेज़ नहीं हैं, बल्कि वे एक सुविचारित, संगठित और व्यवहारिक पर्यावरण-नीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अशोक की पर्यावरण चेतना प्राचीन भारतीय परम्परा की उस दूरदर्शी सोच को अभिव्यक्त करती है, जिसमें मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य को सामाजिक स्थिरता और लोककल्याण का आधार माना गया है।

संदर्भ सूची

1. थापर, रोमिला, अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
2. कोसांबी, डी.डी., प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. गुप्त, परमेश्वरी लाल, प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख (खण्ड–1), वाराणसी, 2002
4. सहाय, शिव स्वरूप, भारतीय पुरालेखों का अध्ययन, नई दिल्ली, 2000
5. गुप्त, परमेश्वरी लाल, प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख (खण्ड–1), वाराणसी, 2002
6. सहाय, शिव स्वरूप, भारतीय पुरालेखों का अध्ययन, नई दिल्ली, 2000
7. गोयल, श्रीराम, प्राचीन भारतीय अभिलेख संग्रह, वाराणसी।
8. मजूमदार, आर.सी., प्राचीन भारत का इतिहास, भारतीय विद्या भवन, मुंबई।
9. कौटिल्य, अर्थशास्त्र (अनुवाद सहित), चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी।
10. गोयल, श्रीराम, प्राचीन भारतीय अभिलेख संग्रह, वाराणसी।
11. शर्मा, रामशरण, प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, ओरिएण्ट लॉन्गमैन, दिल्ली।
12. पाण्डेय, शिवकुमार, प्राचीन भारत में पर्यावरण चेतना, इलाहाबाद।
13. वर्मा, एस.पी., भारतीय संस्कृति और पर्यावरण, नई दिल्ली।
14. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अशोक के अभिलेख : पाठ एवं अनुवाद, नई दिल्ली।